

खनिज क्षेत्र प्राधिकार विकास, धनबाद
(नगर निवेशन विभाग)

पत्राक २२-६८४

धनबाद, दिनांक 5.9.2000

सेवा में,

श्रीध्यासजी गिरी.....
पिता श्री देवकमल गिरी.....
सुदा मंडी ह. कोलघासरी.....

विषय :- मोजा कलनकुसुमा नं० 12..... के खाता नं० 43..... प्लोट नं० 454 अंश
पर भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु आपका आवेदन दिनांक 1.4.98 गृह प्लान केश नं० बीडी-
03/98-99

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि उपर्युक्त विषय वर्णित भूखंड पर गृह निर्माण की स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के साथ प्राधिकार अधिनियम की धारा 30 (ii) के अन्तर्गत प्रबंध निदेशक द्वारा प्रदान की गयी हैं :-

1. प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारम्भ करने के एक सप्ताह पूर्व सलग्न प्रपत्र VII को भरकर अधोहस्ताक्षरी को देना है।
2. प्रस्तावित गृह का निर्माण कार्य अनुज्ञप्तिधारी की देख-रेख में कराया जाय ताकि वे समय-समय पर निर्माण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दे सकें।
3. प्रस्तावित गृह का निर्माण इस पत्र की प्राप्ति के दो वर्षों के अन्दर पूरा कर उसकी सूचना कार्यालय को अवश्य दें।
4. गृह निर्माण पूर्ण रूपेण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही कराया है।
5. डेनेज का व्यवस्था स्वीकृत नक्शा के अनुरूप कराया जाय।
6. गृह निर्माण का निरीक्षण प्राधिकार नगर निवेशन विभाग के किसी भी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किसी भी समय दिन में किया जा सकता है तथा नक्शे के प्रातिकूल पाये गये निर्माण को नियमानुसार तोड़वाया जा सकता है।

अनुक्रमक - स्वीकृत नक्शे की एक प्रति।

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियन्ता

नगर निवेशन, माडा, धनबाद।

31/8/2000

28/8/2000